आउटकम बजट प्रारूप 2017-18

विभाग का नाम – सैनिक कल्याण विभाग

राज्य सेक्टर

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले 2017–18		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सैनिक मुख्यालय तथा जिला सैनिक कल्याण के अधिष्ठान में व्यय।	सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालय संचालन में बजट इत्यादि ।	120971	–	निदेशालय एवं 14 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 260 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ।	2017–18	• कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन होगा तथा लगभग 1.63 लाख पूर्व सैनिकों /विधवाओं की समस्याओं के समाधान करने में सहायक होगा।	एक वर्ष
2.	विभिन्न युद्वों/सीमान्त झड़पों के शहीद सैनिक विधवाओं, अपंग सैनिकों को देय आवासीय सहायता।	विभिन्न युद्वों /सीमान्त झड़पों के शहीद सैनिक विधवाओं /अपंग सैनिकों को ₹ 2.00 लाख प्रति पात्र के दर से आवासीय सहायता प्रदान की जाती है ।	3000	–	शहीद सैनिको की विधवाओ, अपंग सैनिकों को आवासीय सहायता, इसमें प्रति वर्ष लगभग 15 पात्रो को ₹ 2.00 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।	2017–18	• 15 शहीदों की विधवाओं तथा अपंग सैनिकों के आवासीय सहायता प्रदान की जायेगी ।	एक वर्ष
3.	वरिष्ठ सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन एवं पुरस्कार अनुदान ।	प्रदेश के निवासी वीरता के प्रदर्शन के लिए राष्टपति द्वारा अलंकरण प्रदान किया जाता है।	300	–	वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त 210 पात्रों को धनराशि प्रदान की जायेगी है।	2017–18	• 210 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊँचा रहेगा ।	एक वर्ष
4.	वार–टू सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद अनुदान /एन्युटी ।	वार –टू सेना मेडल के पुरस्कार सैनिकों एक मुश्त एवं वाषिकी प्रदान की जानी है।	50000	–	वार –टू सेना मेडल के पात्रों की संख्या– 836 है पुरस्कार सैनिकों एक मुश्त एवं वाषिकी प्रदान की जाती है।	2017–18	• 836 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊँचा रहेगा । • अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में	एक वर्ष

							जाने के इच्छुक होंगे।	
5.	वीर चक्र श्रृंखला विजेयताओं का राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद पुरस्कार ।	वीर चक्र श्रृंखला विजेयताओं जैसे परम वीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त विजेयताओं पुरस्कार ।	15000	–	वीर चक्र श्रृंखला परम वीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त विजेयताओं को एक मुश्त एवं वार्षिकी प्रदान किया जाना है । वर्तमान मे इनकी संख्या – 108 है ।	2017–18	• 108 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊँचा रहेगा • अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में जाने के इच्छुक होंगे।	एक वर्ष
6.	उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व सैनकों एवं उनकी आश्रित विधवओं को पेंशन ।	उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्व के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को जीवनयापन हेतु पेंशन अनुदान दिया जाना है।	75000	–	राज्य के द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों को शासन द्वारा जीविकोपार्जन हेतु ₹4000/–प्रतिमाह की पेंशन /अनुदान दिया जा रहा है । वर्तमान में इनकी संख्या –1483 है ।	2017–18	• 1483 द्वितीय विश्व युद्व पेंशनर जो काफी वृद्व हैं। पेंशन / अनुदान के माध्यम से उनको जीवन यापन में सहायता मिलेगी ।	एक वर्ष
7.	20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता (ब्लाक प्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान किया जाना ।	ब्लाक प्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान किया जाना है ।	6840	–	जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से हर ब्लाक में एक पूर्व सैनिक की ब्लाक प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति की गई है। ब्लाक प्रतिनिधियों का ₹ 5000/–प्रतिमाह मानदेय तथा ₹1000/– यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। वर्तमान में इनकी सख्या 95 है ।	2017–18	• राज्य के 1.63 लाख पूर्व सैनिकों/ वीर नारियों/ सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों की जागरूकता में बढोत्तरी तथा समस्याओं का समाधान।	एक वर्ष
8.	भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।	पूर्व सैनिकों एवं आश्रित बच्चों के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रित	3695	–	पूर्व सैनिकों एवं आश्रित बच्चों के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है । प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को वेतन एवं प्रशिक्षर्थियों को निःशुल्क भोजन, वर्दी	2017–18	लगभग 500 पात्रों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शारीरिक रूप से सेना ,पुलिस तथा अर्द्वसैनिक बलों में भर्ती हेतु तैयार किया जायेगा ।	एक वर्ष

		पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है ।			आदि की व्यवस्था की जाती है जिससे कि सेना/पुलिस तथा अन्य बलों में आसानी से भर्ती हो सकें ।			
9.	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्वि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण (कम्प्यूटर प्रशिक्षण	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्वि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्न कोर्स चलाये जाते है। नागरिक जीवन के प्रति अभिमुखीकरण, पंजीकृत पूर्व सैनिकों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सेवायोजन हेतु कोचिंग की व्यवस्था एवं रोजगार परक प्रशिक्षण ।	4000	–	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्वि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण के अन्तर्गत 500 पात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा ।	2017–18	• 500 पूर्व सैनिकों / उनके आश्रितों का कौशल विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढेंगें। • बेरोजगारी कम होगी। • कई लोग अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते है।	एक वर्ष
10.	राज्य सैनिक कल्याण परिषद हेतु सहायता ।	राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अन्तर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मानदेय इत्यादि का भुगतान किया जाता है ।	1688	–	राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जाता है । 04 महानुभावों के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जाता है ।	2017–18	• सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मानदेय दिया जायेगा।	एक वर्ष
11.	राज्य के सेवानिवृत्त /सेवारत सैन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को गृहकर में छूट ।	सेवारत सैनिक/ पूर्व सैनिक के स्वामित्व वाले आवासीय भवन, जिनमें वे स्वयं निवास कर रहे है को गृहकर में छूट दी जा रही है ।	500	–	सेवारत सैनिक/ पूर्व सैनिक के स्वामित्व वाले आवासीय भवन, जिनमें वे स्वयं निवास कर पूर्व सैनिकों /सेवारत सैनिकों एवं विधवाओं को स्वामित्व वााले आवासीय भवन, जिसमें वे स्वयं निवास कर रहे हो को गृहकर में छूट की धनराशि प्रदान की	2017–18	• लगभग 25,000 पूर्व सैनिकों को गृहकर से छूट मिलेगी जिससे उनको वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। • पूर्व सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा।	एक वर्ष

					जाती है ।			
12.	अशोक चक्र श्रृंखला को राज्य सरकार से पुरस्कार ।	इस श्रृंखला के अन्तर्गत अशोक चक्र विजेयता, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेयताओं को सम्मान के रूप में एक मुश्त अनुदान एवं वार्षिकी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ।	25000	—	इस श्रृंखला में अशोक चक्र विजता, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को प्रतिवर्ष भुगतान किया जाना है । वर्तमान में इनकी संख्या —187 है ।	2017—18	• 187 वीरता पदक पुरस्कार विजेताओं का मनोबल ऊॅचा रहेगा। • प्रदेश के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में जाने के प्रति प्रेरणा मिलेगी।	एक वर्ष
13.	उत्तराखण्ड शहीद कोष ।	विभिन्न युद्व, सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को एक मुश्त अनुदान प्रदान की जाती है ।	8000	—	विभिन्न युद्व, सीमाल्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹10. 00 लाख प्रति पात्र दिया जाना है ।	2017—18	• युद्व विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे उनको स्वंय तथा अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद मिलेगी।	एक वर्ष
14.	सैनिक विश्राम गृह का निर्माण ।	उत्तराखण्ड राज्य में सैनिकों केा रहने की सुविधा देना है ।	—	4000	राज्य स्तरीय जिला एवं तहसील स्तरीय सैनिक विश्राग गृहों का निर्माण किया जाता है।	2017—18	• प्रदेश के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं /उनके आश्रितों तथा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इन जगहों पर कम खर्चे में रहने की सुविधा प्राप्त होगी।	एक वर्ष
15.	आवासीय भवनों का निर्माण ।	जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत के आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा ।	—	100	जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत के आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा ।	2017—18	• 30 कार्मिकों को आवासीय भवन उपलब्ध होगें। • कार्मिकों के जीवन स्तर में वृद्वि होगी।	एक वर्ष
16.	वार विडो बच्चों हेतु देहरादून में छात्रावास का निर्माण ।	गढ़वाल राईफल्स के वार विडो के बच्चों हेतु छात्रावास का निर्माण	—	100	गढ़वाल राईफल्स के वार विडो के बच्चों हेतु छात्रावास का निर्माण	2017—18	• वर्तमान में भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नही	—

		किया जाना ।			किया जाना ।		किया जा रहा है ।	
17.	देहरादून में स्टेट वार मेमोरियल का निर्माण।	देहरादून में स्टेट वार मेमोरियल का निर्माण किया जायेगा ।	–	5000	देहरादून में 01 स्टेट वार मेमोरियल का निर्माण किया जायेगा ।	2017–18	• काफी समय से लम्बित स्टेट वार मेमोरियल का निर्माण होगा । • सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा ।	एक वर्ष
18.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का निर्माण ।	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का निर्माण किया जायेगा ।	–	5000	02 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का निर्माण किया जायेगा । (जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत)	2017–18	• दो कार्यालयों का निर्माण होगा । • प्रत्येक कर्मचारियों को कार्य करने के लिये उचित स्थान मिलेगा। • कार्यालय की कार्य क्षमता बढ़ेगी ।	एक वर्ष
19.	जनपद रूद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल का निर्माण ।	जनपद रूद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल का निर्माण किया जायेगा ।	–	10000	जनपद रूद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था से ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि दी गई गई थी जो कि वापस संस्था को दिया जाना है।	2017–18	• वर्तमान में यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। • इस मद में उपलब्ध ₹ 5.00 करोड की धनराशि को संस्था को वापस किया जायेगा ताकि पूर्व सैनिक के लिए कल्याणकारी योजनाऐं लागू की जा सकें ।	एक वर्ष
20.	सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना ।	सैनिक महिला को सिलाई बुनाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाना ।	35	–	वर्तमान में यह प्रशिक्षण संचालित नही किया जा रहा है ।	–	–	–
		योग –	**314029**	**24200**				